फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अजमेर

श्री उममसिह ..... बनाम कमला व अन्य .....

किस्म मुकदमा 188,53 41/2010.....सन .....

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही श्री श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
13.10.2017	पत्रावली पेश हुई। वकिल उभय पक्ष उपस्थित। वादी/वकिल वादी के द्वारा अवशेष प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस तलबाना प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम अवसर दिए जाने पर पर प्रस्तुत नही किए गए है। इसके पश्चात भी कई अवसर प्रदान किए जा चुके है । इस हेतु कई अवसर प्रदान करने के बावजूद वादी/वकिल वादी ने अवशेष प्रतिवादीगण की तलबी हेतु किसी प्रकार की रूची नही दिखाई गई । हमने पत्रावली का अवलोकन किया न्यायालय आदेश से अवसर दिए जाने के उपरान्त भी पालना नही की गई है। प्रकरण में सात वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी वादी/ वकिल वादी ने तलबी हेतु कोई रूची पृकट नहीं की गई । जिससे वादी एवं उनके अधिवक्ता की उक्त वाद को चलाए जाने में ना तो किसी प्रकार की कोई रूचि प्रकृट होना प्रतीत होती है । इस प्रकार कानूनी प्रावधानो के तहत उभय पक्षकार अपने हक अधिकारो के प्रति सजग नही रहता है उसकी न्यायालय की किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नही कर सकता है। अतः वादी का वाद पत्र न्यायालय आदेशो की अदम पालना में निरस्त कर खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । उपखण्ड अधिकारी अजमेर	